

26/05/22

आप यह पत्रावली प्रार्थियों के प्रा.पत्र पेश होने पर मूल वाद के साथ पेश हुई। चूंकि आप प्रार्थियों का मूल वाद विद्वी कर स्वीरिज किया जा चुका है। जब इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः प्रार्थियों का प्रा.पत्र 212 RTA में विद्वी कर स्वीरिज किया जाता है। प्रा.पत्र में जगिूम कार्यवाही इसी स्तर पर छेप की जाती है। पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाते हैं। पत्रावली कोसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जमा मिला लेस मण्डार ले। सुनाया गया।

(Handwritten signature)

*Adm
R-3*

(Signature)
सहायका कलक्टर
मुंबई नगर (अलम) संज०

